

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी—गोरखपुर

पत्रांक/मान्यता

५१९

/2023-24

दिनांक—०५ सितम्बर, 2023

प्रबन्धक


एस०एन०एस०एस० एकेडमी
संगम चौराहा, पादरी बाजार
जनपद— गोरखपुर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419 / ७९-६-२०१३-१८(२०) / ९१ शिक्षा अनुभाग-०६ दिनांक ०८ मई, २०१३ के अनुपालन में सूच्य है कि “मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो ०३ वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।”


एस०एन०एस०एस० एकेडमी के संदर्भ में कार्यालय को मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है, अतः एस०एन०एस०एस० एकेडमी की प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूहाइकूल रत्तर तक (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) की मान्यता अंग्रेजी माध्यम से स्थायी किया जाता है।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।


Raman Singh
15/9/2023

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर


Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur


Umesh Chandra Srivastava
Manager
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

राज्य परियोजना निदेशक विभाग

सम्बन्धित विभाग, विद्या बाबू, निशातगंगा, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upefra.com

ई-मेल: upefraspo@gmail.com

फ़ोन: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रधक
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उप्र
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्व
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा०प०नि०/ 5654 /2021-22/लखनऊ

दिनांक: ४ अगस्त, 2022

टिप्प- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

नहींदय,

कृपया अद्वित करना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वार्षिक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के दिनु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्ट्या निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधिकों के दृष्टिगत औपरिधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से समन्वित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्भत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समरत जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रधार-प्रसार के आभाय में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करन वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

मवदीया,

(आनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा०प०नि०/ 2021-22/लखनऊ/तददिनांक
प्रधिलिपि:

- जिलाधिकारी समरत जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समरत पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- श्री सदा अख्तर, विश्व तकनीकी निदेशक (साइटिस्ट-एफ)
- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी समरत जनपद, उत्तर प्रदेश।

(आनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला— गोरखपुर, उ०प्र०)

संख्यांक/निरीक्षण/12644.45 / 2016-17
प्रबन्धक,

तारीख २४/१२/२०१६

एस०एन०एस०एस० एकेडमी,
संगम चौराहा, पादरी बाजार, नगर क्षेत्र गोरखपुर

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं एस०एन०एस०एस० एकेडमी, संगम चौराहा, पादरी बाजार, नगर क्षेत्र गोरखपुर को तारीख 01.07.2016 से तारीख 30.06.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री—प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूँडाओस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :—

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3—विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4—पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—**12800 वर्गफीट**
- कुल निर्मित क्षेत्र—**5820 वर्गफीट**
- क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—**5820 वर्ग फीट उपलब्ध है।**
- कक्षाओं की संख्या—**10 उपलब्ध है।**
- प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडागार के लिए कक्ष—उपलब्ध है।
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—उपलब्ध है।
- पेयजल सुविधा—उपलब्ध है
- मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई—उपलब्ध
- वाधारहित पहुँच—उपलब्ध है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

9—विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

11—स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

12—विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

13—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड **C-277/2016** है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।

- 14—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जौ समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 15—सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 16—शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 17—जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 18—मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण—पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण—पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय


(ओ0पी0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोरखपुर
२४/११/२०१६

पृ०सं०—संख्याक/निरीक्षण/
प्रतिलिपि—सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

/2016-17 तददिनांक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर


Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Unmesh Chandra Saini

MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur